

तारीख हुक्म

12.01.21

उत्तराखण्ड सरकार उप।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने शर्मागढ़ पर पुराना तलाब पेश किया जिससे स्वीकार किया जाकर पुराना आज तलाब की गई। अधिवक्ता वादी ने शर्मागढ़ पर अनर्गत धारा 022 & 3 सी.पी.सी. वाले क़ानून हुक्म देकर पेश की जिसपर अधिवक्ता प्रतिवादी ने No Objection किया बाद शर्मागढ़ पर स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता गद्दी ने संशोधित बाद शर्मागढ़ पेश किया जो शामिल किया गया। वादी सं. 4/1 या 4/3 के नाबालिग जजिने सुदरती बली पेश करीग हुमाट की ओट से अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश निबनोई ने अपना वकालतनामा पेश किया जो शामिल किया गया।

प्रतिवादी सं. 3/1 व 3/2 के नाबालिग होने पर उनकी मौखी सुश्रीदेवी पत्नी प्रेमाराज पी रामुबाम ने चन्दाबाई की वदत होने से चन्दाबाई के पुत्र जसराज व गोपाल की तरफ से सुदरती बली वन कट अपना एक भाग किया जिस पर बली पदाकाबान ने सहमति प्रदान की। बाद वादीगण सं. प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया जो उनके पदकट सुनाया गया उन्होंने सुनकर व कामसकट रही होना स्वीकार किया।

ल.टी. सुका

ल.टी. सुखीदेव

पुनीपुत्र

(वादीगण)

ल.टी. सुधर

मुगार

प्रदो

ल.टी. सुधर

ल.टी. सुधर



क्र.सं.

राजिनामा के अधिवक्ता श्री जेमप्रकाश व परिवारियों के अधिवक्ता श्री लिंकट छोधी ने भी स्वीकार किया।

राजिनामा स्वीकार किया जा रहा है।
ब्याक ब्रकसट पटवाट हेंज मोटार्ड के ज्येन
ग्र.सं. 53 रकबा 67.18 बीघा भूमि में
1/2 हिस्सा वादी भंवरलाल का व 1/2
हिस्सा प्रतिवादी लूणाबाऊ का हिस्सा व
ग्र.नं. 54 रकबा 11.11 बीघा में 1/2
हिस्सा वादी भंवरलाल का व 1/2
हिस्सा प्रतिवादी लूणाबाऊ का होना घोषित
किया जा रहा है। इस प्रकार डिक्ली पचा
जारी किया जावे।

पंचायती फैसल सुमाट होकर नम्बर
से एक फर होकर दायित्व दफ्तार हो

[Signature]

बहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) फलौरी हो

भंवरलाल
सुभा पु
सुभा देवी
समी ज
मोटार्ड
सखमा
1. वि
2. शि
3. गो
4/1
जरि
प्रवीण
छीप
पिड
द स
नज
म
ादी
कब
मूर
नेर्ण
वच
मो
मु
अ
व
स
म